ज्ञान तत्व अंक 207

(क) लेख–न्याय और कानून के बीच बढता फर्क।

(ख) कार्यालयीन प्रश्नों के उत्तर ।

(ग) श्री राम कृष्ण पौराणिक, उज्जैन का प्रश्न और मेरा उत्तर ।

(घ) डा0 विश्वास महा सचिव राजीव भगवान आंदोलन, झांसी, उत्तर प्रदेश द्वारा एन्डरसन को भोपाल गैस कांड पर प्रश्न और मेरा उत्तर।

(च) श्री श्रुतिवन्तुदुबेविजन,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञान यज्ञ परिवार,सीधी मध्यप्रदेश। का प्रश्न और मेरा उत्तर ।

(छ) श्री एस.के.त्रिवेदी, लालबहादुर शास्त्री मार्ग, फतेहपुर, यू.पी.का प्रश्न और मेरा उत्तर ।

(ज) श्री सुरेश शर्मा, रामगंज,अजमेर,राजस्थान द्वारा समीक्षा और मेरा उत्तर ।

(झ) श्री भगवान दास जोपट,कृपा अपार्ट,वेस्टमाड़पल्ली,सिकन्दराबाद, आंध्रप्रदेश की टिप्पणी।

(ट) श्री अमरसिंह जी आर्य, जयपुर, राजस्थान का प्रश्न और मेरा उत्तर ।

(ठ) अपनो से अपनी बात।

(ड) क्या दिग्विजय सिंह जी कोई गुप्त योजना पर है? – बजरंग मुनि ।

(ढ) नक्सलवाद और शांतिवार्ता – बजरंग मुनि ।

(क) न्याय और कानून के बीच बढ़ता फर्क

सम्पूर्ण भारत में सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ ने एक नई बहस छेड़ दी है। सोहराबुद्दीन एक घोषित अपराधी था। उस पर कई राज्य सरकारों द्वारा इनाम घोषित थे। उसके पास से पूर्व में गंभीर हथियार थोक में जप्त हुए थे। सबूत के अभाव में वह सजा नहीं पा सका। गुजरात पुलिस ने गृहराज्य मंत्री अमित शाह का प्रत्यक्ष तथा मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी का अप्रत्यक्ष समर्थन पाकर सोहराबुद्दीन को फर्जी मुठभेड़ में मार डाला। उसकी पत्नी कौसर बी यह भेद खोल सकती थी इसलिये उसकी भी हत्या कर दी गई। तुलसी सोहराबुद्दीन का सहायक था। वह भी फर्जी मुठभेड़ में मार दिया गया। अमित शाह को भी सम्भवतः राजस्थान के कुछ व्यापारियों ने इस कार्य के लिये बड़ी रकम का ठेका दिया था। अमित शाह का भी कोई बहुत उज्वल रिकार्ड नहीं रहा है।

एक सीधा सा सिद्धान्त है कि न्याय और व्यवस्था के लिये कानून बनते हैं। यदि न्याय और कानून दो विपरीत धाराओं पर चलने लगें तो न्याय का स्थान कानून से उपर होता है, क्योंकि न्याय के लिये कानून बनते हैं, कानून के लिये न्याय नहीं। अपराधी को दण्ड देना न्याय है और न्याय के लिये किसी प्रक्रिया का पालन कानून है। यदि कानून न्याय देने में पर्याप्त भूमिका न अपना सके तो कानून की समीक्षा और संशोधन तो हो सकता है किन्तु न्याय की काटछांट या संशोधन संभव नहीं। यदि हम सोहराबुद्दीन, तुलसी और कौसर बी की समीक्षा करें तो सोहराबुद्दीन एक अपराधी था यह निर्विवाद है। तुलसी उसके अपराध कार्य का सहयोगी था यह भी निर्विवाद है। कौसर बी सोहराबुद्दीन की पत्नी थी , फर्जी मुठभेड़ को छिपाने के क्रम में मारी गई । यदि सोहराबुद्दीन के साथ न्याय हुआ होता तो न तो वह

खुला घूमता न फर्जी मुठभेड़ की नौबत आती। किसी अपराधी का निर्दोष छूटना स्पष्ट रूप से अपराध होता है और किसी अपराधी को फर्जी मुठभेड़ में मारना अपराध न होकर गैर कानूनी कार्य मात्र होता है। अपराध और गैर कानूनी में आसमान जमीन का फर्क होता है। यदि हम विस्तृत समीक्षा करें तो पायेंगे कि यदि कोई अपराधी जिसे अपराध के बदले में मृत्युदण्ड होना चाहिये वह बेजुर्म रिहा हो जाता है तो वह पूरी तरह आपराधिक कार्य है भले ही वह कानून सम्मत है और ऐसा अपराध करने वाले को दण्डित करने का हमारे पास कोई कानूनी आधार नहीं। दूसरी ओर ऐसे निर्दोष घोषित अपराधी को फर्जी रूप में दण्डित या हत्या कर दी जावे तो ऐसा दण्ड अपराध न होकर गैर कानूनी कार्य माना जाना चाहिये। ऐसी फर्जी हत्या के लिये हत्यारे को कानून दण्डित करेगा और समाज प्रशंसा करेगा। ऐसी स्थिति बहुत घातक होती है।

भागलपुर आंख फोड़ कांड को मैंने खूब समझा है। हमने सच्चाई को देखकर भी अनदेखा किया। कुछ नामी अपराधी गवाही के अभाव में बार बार न्यायालय से निर्दोष सिद्ध होकर पुनः पुनः अपराध करते हैं। अपराध फांसी के दण्ड लायक नहीं थे। पुलिस और भीड़ ने उन्हें पकड़ पकड़ कर अन्धा बना दिया। देश भर में हल्ला हुआ। कानून तोड़ने वालों को दण्ड मिला। किन्तु अपराधियों को निरपराध घोषित करने वालों को न कभी अपराधी कहा गया न उस पर कभी विचार हुआ। भागलपुर की पूरी जनता ने संघर्ष किया किन्तु न राजनेताओं ने कभी समीक्षा की न न्यायपालिका ने। यदि भागलपुर आंख फोड़ कांड की ठीक से समीक्षा करके न्याय और कानून के बीच की दूरी को कम कर दिया जाता तो सोहराबुद्दीन कब का जेल के अन्दर होता। न वह इस तरह बार बार अपराध कर पाता और न ही फर्जी मुठभेड़ की जरूरत होती ।

दुनिया जानती है कि पंजाब में आतंकवाद अनियंत्रित हुआ। सारी कोशिशें असफल हुई। ऐसा लगा कि अब पंजाब में गृहयुद्ध शुरू हो जायेगा। तब भारत सरकार ने गैरकानूनी तरीके से पंजाब में शांति स्थापित करने में सफलता पाई। बड़ी संख्या में आतंकवादियों को चुन चुन कर फर्जी मुठभेड़ में मारा गया। एक बार तो असम और बंगाल में भी ऐसा प्रयत्न हो चुका है।

मेरा जन्म स्थान और कार्य क्षेत्र नकसलवाद का रणक्षेत्र बन रहा था। यहॉ के कुछ लोगों ने प्रमुख नक्सलवादी नेताओं को एक एक कर पकड़वाया। नक्सलवादी आतंक के कारण गवाह गवाही नहीं दिये। सभी को न्यायपालिका ने निर्दोष का सर्टिफिकेट देकर बाइज्जत बरी कर दिया। जेल से छूटते ही उन्होंने कुहराम मचाया। पकड़वाने वालों की हत्याऍ होने लगीं। क्षेत्र के लोगों ने पुलिस से गैरकानूनी सुरक्षा की गुहार लगाई। पुलिस ने नागरिकों से मांग की कि उनकी मानवाधिकार वादियों से सुरक्षा की गारंटी हो। नागरिकों द्वारा पुलिस को सुरक्षा की गारंटी और उसके बाद की गई पुलिसिया फर्जी मुठभेड़ ने पूरे क्षेत्र को शान्त कर दिया। आज रामानुजगंज क्षेत्र भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहॉ नक्सलवाद घट रहा है अन्यथा पूरे भारत में तो लगातार बढ़ रहा है। इसके पीछे का छिपा हुआ इतिहास यही है कि यहॉ जब कानून ही न्याय और सुरक्षा में बाधक बनने लगे तो जनता और प्रशासन ने मिलकर कानून की जगह न्याय और सुरक्षा को अधिक महत्व दिया। मैंने तो यहॉ तक सुना है कि एक मानवाधिकारी नेता जो नहीं माना और नक्सलवादियों के पक्ष में मानवाधिकार का नाटक करने लगा उसे भी सबक सिखाने की योजना पर विचार चल रहा था किन्तु वह नेता दब गया।

विचारणीय प्रश्न यह है कि कानून यदि सुरक्षा देने में विफल हो जावें, विधायिका ऐसे बाधक कानूनों में फेर बदल को तैयार न हो और न्यायपालिका भी कानूनों से पूरी तरह चिपक जावे तो समाज

क्या करे?साफ साफ दिख रहा है कि अपराधी अपराध करके न्यायालय से निर्दोष छूट रहे हैं। न्यायालय उन्हें बार बार अपराध करने से रोकने में विफल हैं। इसके विपरीत हमारी कानून व्यवस्था तो ऐसे अपराधी को बार बार अपराध करने का प्रमाण पत्र दे रही है। ऐसा प्रमाण पत्र देने वालों का प्रयास पूरी तरह अपराध है भले ही वह कानून सम्मत प्रयास ही क्यों न हो। न्यायपालिका न्याय और सुरक्षा के लिये है। उसे तब तक कानून की सुरक्षा करनी चाहिये जब तक वह कानून न्याय और सुरक्षा के लिये बाधक नहीं है। यदि कोई कानून बाधक है तो न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वह विधायिका से ऐसे कानूनों में संशोधन का निवेदन करे। क्योंकि न्यायपालिका कानून की सुरक्षा के लिये बाध्य तो है किन्तु न्याय और सुरक्षा की कीमत पर नहीं। यदि न्यायपालिका भी कानून की सुरक्षा करते हुए अपराधी को निर्दोष घोषित करती है तो उसका यह कार्य समाज के लिये अपराध माना जाना चाहिये भले ही वह कितना ही कानून सम्मत क्यों न हो। दूसरी ओर यदि किसी कार्यपालिक पुलिस अधिकारी ने ऐसे अपराधी को फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया तो उस अधिकारी का कार्य गैरकानूनी तो है किन्तु अपराध नहीं। यह बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी आवश्यक है कि न तो हर अपराध गैर कानूनी होता है न ही हर गैर कानूनी अपराध। किसी का मकान किराये पर लेकर उसे कभी खाली न करने के दांवपेच गैर कानूनी कार्य नहीं है किन्तु अपराध तो है। यदि कोई व्यक्ति अपना मकान खाली कराने के उद्देश्य से झूठ बोले तो उसका झूठ बोलना गैर कानूनी कार्य तो है किन्तु अपराध नहीं।

सोहराबुद्दीन प्रकरण में मेरी दृष्टि में फर्जी मुठभेड़ के प्रकरण गैर कानूनी कार्य माने जाने चाहिये अपराध नहीं। किन्तु इस बीच एक नया तथ्य यह प्रकाश में आया कि गृह राज्य मंत्री ने राजस्थान के कुछ व्यापारियों से धन लेकर यह मुठभेड़ कराई । यदि यह बात सच है तो सोहराबुद्दीन हत्या भले ही अपराध न हो किन्तु इस प्रकार की सौदेबाजी समाज को धोखा देने का प्रयास तो है और ऐसा धोखा भी तो अपराध ही है। यदि सोहराबुद्दीन , कौसर बी और तुलसी सहानुभूति के पात्र नहीं थे तो बंजारा, अमित शाह और भेद खुले तो मोदी भी सहानुभूति के पात्र नहीं क्योंकि उन्होंने जनहित के लिये हत्या न करके स्वहित के लिये की है।

स्पष्ट है कि वर्तमान समय में न्याय और सुरक्षा से कानून लगातार दूर से अधिक दूर होते जा रहा है। विघायिका कानूनों को न्याय और सुरक्षा की दिशा में संशोधित न करके न्याय और सुरक्षा को ही कमजोर करती जा रही है। न्यायपालिका भी कानून की रक्षा में इतना अधिक बढ़ चढ़ कर कार्य कर रही है कि उसे न्याय और सुरक्षा की परवाह ही नहीं । गैरकानूनी और अपराध का भेद मिटा दिया गया है। आम लोगों का कानून पर से विश्वास उठता जा रहा है और हिंसा पर विश्वास बढ़ रहा है। खतरनाक स्थिति है।

इसका एक ही समाधान है कि न्याय सुरक्षा और कानून के बीच की दूरी कम से कम कर दी जाये। यदि अपराधियों को दण्ड मिलने लगे तो फर्जी मुठभेड़ अनावश्यक हो जायेंगी। इतनी साधारण सी बात को भी हमारी विघायिका और न्यायपालिका नहीं समझना चाहती तो समाज क्या करें। ज्ञान यज्ञ परिवार ने पिछले पंद्रह वर्षो से लगातार शोध करके इस संबंध में कुछ प्रस्ताव तैयार किये है।

1. अपराध गैर कानूनी और अनैतिक को अलग अलग स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाय। इस संबंध में और विवेचना ज्ञान तत्व एक सौ पैतीस जून दो हजार सात में भी पढ़ सकते हैं।
2. सरकार न्याय और सुरक्षा को अपना दायित्व घोषित करके शेष सभी जनहितकारी कार्यो को दायित्व से अलग कर दें।

3. यदि किसी जिले के जिला जज, कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक संयुक्त रूप से महसूस करें कि अपराधियों के भय से आम नागरिक गवाही देने से डर रहा है तो उस जिले में सीमित समय के लिये आपातकाल घोषित करके गुप्तचार न्याय व्यवस्था को लागू कर दें।

मुझे पूरा विश्वास है कि ये तीन प्रयत्न सारी फर्जी मुठभेड़ सहित गैर कानूनी कार्यो पर विराम लगाने में समर्थ होंगे। इस संबंध में समाज में व्यापक विचार मंथन होना चाहिये।

(ख) कार्यालयीन प्रश्नों के उत्तर

प्रश्न –सांसदों के वेतन भत्ते बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव

उत्तर– कार्यपालिका न्यायपालिका और विघायिका का समन्वित स्वरूप ही वास्तव में सरकार होता है जिसे बोलचाल की भाषा में तंत्र कहते हैं। तंत्र एक किताब में लिखित बातों के आधार पर संचालित होता है जिसे इसी तंत्र ने संविधान नाम दिया हैं। हमारे देश के सभी नेता समाज में यह असत्य फैलाने में दिन रात सक्रिय रहते हैं कि संविधान सर्वोच्च है जबकि सच्चाई यह है कि तंत्र से जुड़े लोगों ने ही चुपके से उस संविधान नामधारी किताब में एक लाईन लिख दी है कि तंत्र जब भी आवश्यक समझे, संविधान में संशोधन भी कर सकता है तथा उसकी व्याख्या भी बदल सकता है। स्पष्ट है कि तंत्र सर्वोच्च हो गया।

उस किताब में ही इन लोगों ने गुप्त रूप से लिख रहा है कि तंत्र अपना वेतन किसी भी सीमा तक स्वेच्छा से ले सकता है। ऐसा वेतन भत्ता चाहे उसकी सीमा असंख्य ही क्यों न हो, लोक देने के लिये बाध्य है। पहले तंत्र से जुड़े लोगों में नैतिकता इतनी नीचे नहीं गिरी थी इसलिये ये बेशर्मी से अपने वेतन भत्ते नहीं बढ़ाते थें अब तो पूरा तंत्र एक प्राइवेट एन्ड कंपनी के रूप में काम करने लगा है। उस प्राइवेट एंड कंपनी का नाम उन्होंने सरकार घोषित कर रखा है। इस कंपनी के डाइरेक्टर तीन होते हैं 1. प्रधानमंत्री और उनकी विधायिका से जुड़े लोग 2. राष्ट्रपति और उनकी कार्यपालिका से जुड़े लोग 3. मुख्य न्यायाधीश और उनकी न्यायपालिका से जुड़े लोग। तीनों डाइरेक्टरों को समान अधिकार प्राप्त हैं किन्तु चूंकि विधायिका के चुनाव में कुछ दलों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है जिसमें लोक को चुनने का अधिकार है इसलिये विधायिका की मजबूरी है कि वह बिल्कुल ही अविश्वसनीय न हो जावे। पहले के समय में तंत्र अपने पूरे शरीर को इस तरह ढक कर रखता था कि लोक की मर्यादा बनी रहे किन्तु धीरे धीरे तंत्र की स्थिति ऐसी हो गई कि अब उसके शरीर पर कोई वस्त्र बचेगा ही नहीं। इसलिये लोक की ऑखों पर ही एक पर्दा डालना चाहा जिससे कि दोनों के बीच शर्म का परदा बना रहे। सबसे पहले उसने राष्ट्रपति से जुड़े लोगों का वेतन बढ़ाया और चूंकि राष्ट्रपति के अधीन कर्मचारी का वेतन राष्ट्रपति से अधिक हो गया था इसलिये राष्ट्रपति का वेतन तीन गुना कर देना तो उनकी मजबूरी में शामिल हो गया था। उसके बाद न्यायपालिका वालों ने तो और भी कमाल कर दिया कि वेतन बढ़ाकर तीन चार वर्ष पूर्व से ही घोषित हो गया। अब विधायिका को अपना वेतन बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होनी थी क्योंकि उसने दो सहयोगी संस्थाओं के कपड़े तो उतरवा ही दिये थे। विघायिका ने चरणदास महंत के नेतृत्व में एक कमेटी बना दी जो विधायिका के वेतन भत्ते तय करेगी। इस कमेटी ने इनका वेतन पांच गुना बढाने की सिफारिश कर दी।

इसी बीच सेवाग्राम आश्रम में गांधीवादी संस्थाओं में इसके विरूद्ध आवाज उठी। सर्वोदय नेतृत्व हमेशा ही लोक और तंत्र के बीच पर्दे के रूप में उपयोग किया गया । जब भी तंत्र के सामने कोई संकट आया तो सर्वोदय नेतृत्व ने विरोध की पहल हाथ में लेने का नाटक किया। सर्वोदय नेतृत्व एक तरफ तो सरकार से जमीन, सुविधा खादी पर छूट, सम्मान आदि प्राप्त करता रहा तो दूसरी ओर बेमतलब के सरकार विरोधी आंदोलन का नाटक भी करता रहा जिससे उसका दबाव तंत्र पर कमजोर न हो जावे। ग्राम सभाओं को अधिक से अधिक सशक्त बनाया जावे इसके लिये जब भी कोई आंदोलन करने की बारी आई तो सर्वोदय ने चालाकी पूर्वक ग्राम स्वराज्य की परिभाषा ही बदल दी। जब जयप्रकाश जी के धैर्य का बांध टूटा

तब भी सर्वोदय का एक गुट विनोबा जी के नेतृत्व में सरकार के समर्थन में ढाल बन कर खड़ा हो गया। सन् नव्वे के बाद बंग जी सिद्धराज जी आदि ने मिलकर दुबारा लोक स्वराज्य की मशाल जलाने की कोशिश की तब भी सर्वोदय के उस गुट ने पूरी ताकत से इन्हें रोक दिया।सिद्धराज जी दब गये और बंग जी मजबूर हो गये। किन्तु बंग जी को भ्रम था कि सर्वोदय नेतृत्व की सरकार से कोई गुप्त योजना न होने से उन्हें समझाना संभव है और वे सर्वोदय नेतृत्व को समझाते रहे। किन्तु धीरे धीरे जब पंद्रह वर्ष बीत गये और बंग जी के परम सहयोगी सिद्धराज जी भी नहीं रहे तो बंग जी ने तय किया कि हम लोक स्वराज्य की अपनी मांग में संशोधन करके सर्वोदय के तंत्र से जुड़े लोगों के मनमाने वेतन वृद्धि अधिकार विरोध को ईमानदारी से आगे बढ़ायेंगे। मेरठ के खन्ना जी, हरियाणा के महावीर सिंह जी,मध्यप्रदेश के दुर्गा प्रसाद जी आर्य अविनाश काकड़े आदि की एक बड़ी टीम ने प्रस्ताव को बढ़ाने के लिये नेतृत्व पर दबाव बनाना शुरू किया तब नेतृत्व ने बड़ी बेशर्मी से प्रस्ताव को रोकने का गुप्त निर्णय कर लिया और तब मजबूर होकर बंग जी ने सेवाग्राम में प्रस्ताव को नरम करते हुए उसे राष्ट्रपति की वेतन वृद्धि के विरोध तक सीमित किया।

तीस जनवरी आठ को राष्ट्रपति की वेतन वृद्धि के विरूद्ध आंदोलन की शुरूआत होनी थी और आंदोलन दो अक्टूबर आठ से बंग जी के आमरण अनशन से चरम पर पहुंचना था। बंग जी की शहादत या गिरफ्तारी के बाद आमरण अनशन पर बैठने वालों की क्रमवार सूची भी बन चुकी थी। आंदोलन की शुरूआत के लिये अमरनाथ भाई दिल्ली पहुंच चुके थे और राष्ट्रपति से मिलने वाले बंग जी के पांच प्रतिनिधियों में शामिल थे किन्तु एकाएक सर्वोदय के लोगों का दबाव पड़ा और अमरनाथ जी ने राष्ट्रपति भवन जाने से अस्वीकार कर दिया। अन्य लोग राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल से खुली बात किये और राष्ट्रपति जी ने घोषित किया कि वे अपनी वेतन वृद्धि को अमानवीय और अनुचित मानती है। हमारे निवेदन पर राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि वे सरकार को लिखेंगी कि वह इस संबंध में उचित विचार करें और साथ ही यह भी कि वे स्वयं बढ़ा हुआ वेतन स्वयं न लेकर दान कर देंगी। सफलता शत प्रतिशत होते हुए भी अमरनाथ भाई का छिटकना संदेह पैदा कर रहा था और जब आमसभा में तीस जनवरी को आगे की चर्चा हुई तो अमरनाथ भाई का जोश गायब था। स्थिति यहॉ तक आई कि सर्वोदय द्वारा बंग जी को सेवाग्राम आश्रम से ऐसे विषयों पर कोई आंदोलन चलाने या चर्चा करने से रोकने का निर्णय कर दिया गया और उक्त ऐतिहासिक कलंक की अध्यक्षता अमरनाथ भाई से ही कराई गई। अमरनाथ भाई पर इतना दबाव किनका पड़ा कि वे न चाहते हुए भी इस आंदोलन से हटे यह तो वे जाने किन्तु हमारे आंदोलन की हवा निकल चुकी थी। सर्वोदय नेतृत्व दुबारा विनोबा जी के पचहत्तर के जे.पी. आंदोलन की गद्दारी को दुहराने के रूप में सामने आकर खड़ा हो गया।

वेतन वृद्धि के विरूद्ध आंदोलन की भले ही हवा निकल गई हो किन्तु राष्ट्रपति की स्वीकारोक्ति और सरकार को सलाह का महत्व तो अब भी जिन्दा था। चरणदास महंत ने पांच गुना वेतन वृद्धि की सिफारिश कर दी। न्यायपालिका और कार्यपालिका तो बढ़ा ही चुकी थी। कुछ साम्यवादियों को छोड़कर अन्य सभी दलों की तो लार टपक रही थी। प्रणव मुखर्जी ने बीच का मार्ग निकालकर तीन गुना पर सहमति दे दी। आनन्द शर्मा कपिल सिव्वल आदि ने भी तत्काल हां कर दी। किन्तु एकाएक गृहमंत्री चिदम्बरम् ने इसका विरोध कर दिया और गृहमंत्री का समर्थन कर दिया श्री ए.के. एन्थोनी तथा अम्बिका सोनी जी ने। प्रस्ताव कुछ दिनों के लिये लटक गया। उसके बाद संसद में जो नाटक हुआ वह रोज दिख रहा है।

स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले सांसद को चार सौ रूपये प्रतिमाह का वेतन और 21 रूपये प्रतिदिन का भत्ता मिलता था। सरकारी रिकार्ड के अनुसार महंगाई और मुद्रा स्फीति में करीब 60 गुने की वृद्धि हुई है। इसका अर्थ हुआ कि सांसद को चौबिस हजार रूपया वेतन और 500 रूपया प्रतिदिन का भत्ता मिलना चाहिए। अब चूंकि सांसद एक व्यावसायिक कंपनी के रूप में बदल चुके है और उन पर नियंत्रण का कोई

प्रावधान नहीं है , ऐसी स्थिति में ये जितना वेतन बढ़ा रहे है उसके लिए भी उनकी प्रशंसा ही की जानी चाहिए कि सारे अधिकार अपने पास होते हुए भी अब तक उन्होंने सिर्फ इतना ही अन्याय किया है।

एक जमाना था कि हमारे नेताओं से बाहरी आचरण में भी त्याग की उम्मीद की गई थी और भीतरी आचरण में थी। धीरे धीरे भीतरी आचरण तो भ्रष्ट होता गया और बाहरी आचरण त्याग का नाटक करता रहा। जब सांसद को करोड़ों की विकास निधि मिलनी शुरू हुई तो भीतरी भ्रष्ट आचरण तो मजबूत हो गया और बाहरी त्याग दिखाया मात्र बचा। अब हमारी विधायिका ने उक्त आवरण को भी हटाना उचित समझा। ऐसा माना जाता था कि यदि हमारे नेताओं का पेट भरा होगा तो इधर उधर करने की उनकी मजबूरी नहीं रहेगी। अब जब उनका आचरण एक प्राइवेट कम्पनी के रूप में बदल ही गया है तो लुका छिपी क्यों। पेट को उस सीमा तक बढ़ने दिया जाय कि सारे भारत की धन दौलत समाने के बाद भी पेट का एक कोना खाली ही रह जावे। इसलिये चारों तरफ से आने दो। चाहे जरूरत हो या न हो किन्तु यदि वेतन वृद्धि संभव है तो होनी ही चाहिये। इस वेतन वृद्धि से भ्रष्टाचार या कमीशन में तो कोई बाधा की शर्त है नहीं। यह वेतन वृद्धि तो निःशर्त है।

फिर भी चिदम्बर एंटोनी अम्बिका सोनी ने अंतिम स्थिति में पूरा पर्दा उठ जाने में विलम्ब करके अपना सम्मान बचा लिया है। हम उन्हें इसके लिये धन्यवाद देते है।हम जानते हैं कि दो चार दिनों में ही यह बिल पास होगा। लालू प्रसाद की मांग पर प्रणव मुखर्जी ने कह दिया है कि बिल चाहे जब पास हो किन्तु वह एक वर्ष पूर्व से ही लागू माना जायेगा। लोकतंत्र में लूट है लूट सके तो लूट। नहीं लूटे पछतायगा जब जाय सांसदी छूट।

प्रश्नोत्तर

(ग) श्री राम कृष्ण पौराणिक , उज्जैन

प्रश्न1. आपका ज्ञानतत्व दो सौ पांच पूरा पढ़ा। प्रश्नकर्ता श्री श्याम विमल ने अपने प्रश्न में एंटिक पीस शब्द प्रयोग किया। इस शब्द का अर्थ क्या है?

2. महंगाई शब्द की समीक्षा करते समय आपने घातुमुद्रा के स्थान पर कागजी मुद्रा आने के कारण मुद्रा के आन्तरिक अवमुल्यन को आधार बनाया और सिद्ध किया कि महंगाई शब्द अस्तित्व हीन, प्रभाव शुन्य तथा धोखा है। आपकी समीक्षा तर्क पूर्ण है। किन्तु विचारणीय है कि एक ओर तो भारत की आधी से अधिक आबादी बीस रूपया दैनिक से भी कम पर गुंजारा कर रही है तो दूसरी ओर आप जैसा व्यक्ति अखबार खरीदने के लिये एक कि.मीटर जाने में भी रिक्शे पर बीस रूपया खर्च कर देता है। यह तो आप जैसे सामान्य व्यक्ति से की गई तुलना है अन्यथा दिल्ली में आपने भी देखा है कि दीपावली के दिन किस तरह सिर्फ हमारे मुहल्ले लक्ष्मीनगर में ही करोड़ों रूपये सिर्फ पटाका फोड़ने पर खर्च कर दिये गये। स्वतंत्रता के बाद यह अन्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में बीस रूपये भी पाने में मुंहताज बेचारा क्या करे?क्या कहें?

3.श्री रामस्वरूप जी अजमेर के प्रश्न के उत्तर में आपने लिखा कि पिछले सौ वर्षो में सती प्रथा रोकने के नाम पर समाज को जितना लाभ हुआ उसकी अपेक्षा कई गुना अधिक नुकसान हुआ। क्या आप सती प्रथा के समर्थक हैं?

4.आचार्य पंकज के प्रश्न के उत्तर में आपने लिखा कि मैं पाश्चात्य राजनैतिक सामाजिक आर्थिक व्यवस्था के विरूद्ध न होकर प्रतिस्पर्धी मात्र हूँ। मैं आपका आशय नहीं समझा। पाश्चात्य राज्य व्यवस्था अकेन्द्रीयकरण समर्थक नहीं है। आर्थिक केन्द्रीयकरण तो खतरनाक स्थिति तक है ही किन्तु सत्ता का अकेन्द्रीयकरण आंशिक ही है। पश्चिम की समाज व्यवस्था स्वेच्छाचारिता तथा उदण्डता की ओर बढ़ रही है। अर्थव्यवस्था भीमकाय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के चंगुल में है। ऐसी स्थिति में पाश्चात्य के प्रति आपका रूख इतना नरम क्यों? प्रति स्पर्धा से आपका आशय क्या है ? प्रतिस्पर्धा तो दौड़ में आगे निकलने के लिये होती है। क्या हम वैसी स्थिति में है? स्पष्ट करने की कृपा करें।

उत्तर– आपके सभी प्रश्न गंभीर है तथा विस्तृत विवेचना की आवश्यकता है। एंटीक पीस का प्रश्न कर्ता का आशय क्या है यह पता नहीं किन्तु मैंने उसे आत्मीय सुख से समझा है। यदि कोई पाठक और स्पष्ट करे तो अच्छा होगा।

महंगाई, मुद्रास्फीति तथा आर्थिक विषमता, बिल्कुल अलग अलग शब्द हैं। तीनों का प्रभाव भी अलग अलग होता है। जब आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य तो बढ़ जावें किन्तु आम लोगों की क्रय शक्ति न बढ़े तब महंगाई कही जाती है। स्वतंत्रता के पूर्व के आठ वर्षो में युद्ध के कारण तेजी से मुद्रा का आन्तरिक अवमूल्यन हुआ और आम लोगों की क्रय शक्ति नहीं बढ़ी । आठ वर्षो में बारह गुना तक मूल्य वृद्धि बताई जाती है। उस समय के कालखंड को महंगाई का काल कह सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद के तिरसठ वर्षो में मुद्रा स्फीति करीब साठ से सत्तर गुनी बढ़ी है जबकि निम्न स्तर अर्थात् श्रमजीवियों की क्रय शक्ति डेढ़ सौ गुनी, मध्यम स्तर के बुद्धिजीवियों की क्रय शक्ति औसत हजार गुनी तथा उच्च स्तर के धनवानों की हजारों गुनी बढ़ी है। आम तौर पर उपभोक्ता वस्तुएँ सस्ती हुई हैं।

उच्च और मध्यम वर्ग ने राजनैतिक व्यवस्था पर नियंत्रण कर लिया। वही नीति भी बनाने लगा और कियान्वयन भी करने लगा। यदि भूला भटका या आरक्षण के कारण कोई श्रमजीवी या गरीब उसमें शामिल हो गया तो वह दो चार माह में ही मध्यम या उच्च वर्ग का बन गया और षडयंत्र पूर्वक आदिवासी या दलित की पूँछ अपने साथ जोड़कर रखा। आज नीति निर्धारकों तथा कार्यान्वित करने वालों में एक भी व्यक्ति निम्न वर्ग का नहीं है।यदि कोई चपरासी भी है तो उसका स्तर मध्यम वर्ग से नीचे का नहीं है। यह मध्यम और उच्च नीति निर्धारक वर्ग आर्थिक विषमता को तो बढ़ा रहा है किन्तु आर्थिक विषमता पर से ध्यान हटाने के लिये महंगाई का हल्ला कर रहा है। यह वर्ग महंगाई महंगाई इतने जोर जोर से चिल्लाता है कि आर्थिक असमानता की आवाज उसके समक्ष दब सी जाती है। इस वर्ग के पास धन की कमी नहीं। मीडिया, राजनीतिज्ञ तथा समाज सेवक इनकी सहायता के लिये दिल खोलकर साथ देते हैं। हमारी मजबूरी है कि हम इतनी बड़ी ताकत के समक्ष आज भी मजबूती से खड़े है। आपसे निवेदन है कि आप भी महंगाई रूपी मध्यवर्ग पूंजीपति षडयंत्र के विरूद्ध जन जागरण में लगे रहें जिससे विषमता की ओर ध्यान जा सके।

मैं न तो सती प्रथा का समर्थक हूँ न ही मैंने समर्थन किया है। मेरा तो मानना यह है कि सती होना कोई अपराध न होकर सामाजिक बुराई मात्र है। दुर्भाग्य से समाज को गुलाम बनाने के लिये राज्य ने इस बुराई को ढाल के रूप में उपयोग किया। कुल मिलाकर पूरे भारत में सती रूपी बुराई के कारण जितनी आत्म हत्याएँ होती थी उससे कई गुना ज्यादा आत्महत्याएँ आज राजनैतिक कारणों से हो रही है। एन. टी. रामाराव के समय या रामचन्द्रन के समय को याद करिये। विश्वनाथ प्रताप सिंह द्वारा घोषित आरक्षण का समय भी मुझे याद है। यदि ये आत्म हत्याएँ अपराध नही तो सती प्रथा के पीछे ही पड़ना क्यों

जरूरी है। सती प्रथा अलग है और सती होने के लिये मजबूर करना अलग। मजबूर करना अपराध है और होना चाहिये किन्तु सती प्रथा का समर्थन न अपराध है न होना चाहिये। यह एक सामाजिक बुराई है जिसे जनमत जागरण द्वारा समाप्त करने में हम सब लगे ही है। सरकार ने इसे गैर कानूनी बनाकर एक अनावश्यक बोझ अपने उपर लाद लिया है। परिवार में जो सबसे अधिक कामचोर होता है वह एक छोटा सा काम अपने जिम्मे स्वेच्छा से उठा लेता है, और ऐसा प्रमाणित करता है जैसे उसने बड़ा भारी काम पूरा कर लिया हो। हमारी सरकार भी वैसी ही है। सती प्रथा जैसी एक मामूली सी सामाजिक बुराई को साठ वर्ष से दूर कर रही है और अपनी पीठ स्वयं थपथपा रही है। नहीं सोचती की सती प्रथा ज्यादा गंभीर बीमारी है या भ्रष्टाचार । यदि सती प्रथा जीवित भी रहती और भ्रष्टाचार नहीं बढ़ता तो ज्यादा अच्छा होता।

सफलता के लिये प्रत्येक व्यक्ति को हर दूसरे व्यक्ति की निरंतर समीक्षा करते रहना चाहिये तथा समीक्षा अनुसार व्यवहार तय होता हैं । समीक्षा के बाद व्यवहार का क्रम या तो आलोचना, विरोध और शत्रुता का रहता है या प्रशंसा, समर्थन, सहयोग, सहभाग का। यदि हम साम्यवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और लोकस्वराज्य के बीच समीक्षा करें तो लोक स्वराजय सबसे उपर रहता है। उसके बाद क्रम है लोकतंत्र का । समाजवाद तीसरे और साम्यवाद सबसे अन्त में रहता है। स्वाभाविक है कि हमारे व्यवहार की प्राथमिकता भी उसी क्रम में होनी चाहिये। अमेरिका आदि पश्चिम के देश लोकतंत्र के पक्षधर हैं दूसरी ओर चीन, रूस आदि देश साम्यवाद के पक्षधर रहे हैं जिसका दूसरा नाम है तानाशाही। ऐसी हालत में हमारा व्यवहार समान कैसे हो सकता है? यदि लोकस्वराज्य प्रणाली से अमेरिका ब्रिटेन की तुलना होगी तो अमेरिका ब्रिटेन की आलोचना होगी और यदि साम्यवादी, समाजवादी विचारों से तुलना होगी तो अमेरिका ब्रिटेन की प्रशंसा।

सांस्कृतिक मामलों में पश्चिम के देश इस्लाम की तुलना में बहुत अच्छे तथा हिन्दुत्व की तुलना में बहुत कमजोर माने जाते हैं। हमें इसी आधार पर तय करना चाहिये। पश्चिम की समाज व्यवस्था स्वेच्छाचारिता की ओर बढ़ रही है। इस्लाम केन्द्रीयकरण की ओर बढ़ रहा है। हिन्दुत्व बीच में है। केन्द्रीयकरण का परिणाम तानाशाही और अत्याचार की दिशा में ले जाता है। स्वेच्छा चारिता यघपि आदर्श स्थिति नहीं होती किन्तु तानाशाही, केन्द्रीयकरण अत्याचार आदि की अपेक्षा बहुत कम बुरी होती है। स्वाभाविक है कि स्वेच्छाचारिता को प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता है और केन्द्रीयकरण को विरोध की।

पश्चिम की अर्थ व्यवस्था भीमकाय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के चंगुल में है। भारत की अर्थव्यवस्था शासकीय चंगुल में है। हम पहले अपनी अर्थव्यवस्था को सरकारी चंगुल से मुक्त कर लें तब हम बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की समीक्षा करें। सरकारीकरण से बाजारीकरण कई गुना कम घातक हैं बाजारीकरण विरोधी किसी न किसी रूप में सरकारीकरण के एजेन्ट होते हैं। वे विकल्प तो देते नहीं। उनका तो बस एक ही काम होता है कि घुमा फिराकर स्वतंत्र बाजार व्यवस्था की आलोचना करना। राजनीतिज्ञों का ऐसी आलोचना को अप्रत्यक्ष समर्थन मिलता है। आप नवीनतम घटना की समीक्षा करें। भारत सरकार ने बड़ी मात्रा में अनाज खरीद लिया जितना उसके पास स्टोरेज का साधन नहीं था। बाजारीकरण विरोधियों ने सरकार को प्रोत्साहित किया। वर्षा के प्रभाव से बड़ी मात्रा में अनाज सड़ गया। व्यापारी उस समय सरकारी रेट से भी ज्यादा रेट पर अनाज खरीदने को तैयार थे किन्तु उन पर तरह तरह के नियंत्रण आदेश लादकर खरीदने से रोका गया। किसानों को कम पैसा मिला तो दूसरी ओर अनाज समुद्र में फेंका जायेगा। सुप्रीम कोर्ट यह कह रहा है कि अनाज सड़ाने की अपेक्षा बांट दो। सुप्रीम कोर्ट यह क्यों नहीं कह रहा कि सरकारी समर्थन मूल्य से अधिक पर व्यापारी को पूरी छूट दे दो। अनाज गोदाम में सड़ भले ही जावे किन्तु व्यापारी नियंत्रण मुक्त न हो जावे। मेरे विचार में यह सरकारी व्यवसाय घातक है। मेरा विचार है कि हम आर्थिक मामलों में चर्चा करते समय बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आर्थिक केन्द्रीयकरण और सरकारी आर्थिक

केन्द्रीयकरण की ठीक ठीक समीक्षा करें। सरकारीकरण किसी भी रूप में अच्छा नहीं है। बाजारीकरण गुण दोष के आधार पर अच्छा बुरा हो सकता है।

हमारे सरगुजा जिले में सरकार ने एक चीनी मिल लगाकर बेचारे गन्ना किसानों को संकट में डाल दिया। पहले किसान गन्ना पैदा करके स्वतंत्रता से बेचते थे। अब सरकार ने उनके गन्ना बेचने पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिये। किसानों ने गन्ना उत्पनादन बंद कर दिया। सरकार ने गन्ने का रेट एक सौ उन्तीस रूपया तय किया। बाद में पचास रूपया बोनस भी देना तय किया। यूपी के मिल वाले दो सौ साठ रूपये में गन्ना खरीदते थे और उससे ठीक सटे हमारे किसान एक सौ अस्सी का कैसे दें। मिल सरकारी था। सरकार ने गन्ना बाहर जाने पर प्रतिबंध लगाया और पूरी मशीनरी झोंक दी किन्तु कुल मिलाकर तीन दिन ही मिल चल पाई। वर्ष के तीन सौ बासठ दिन मिल रूपी हाथी छाती पर बैठकर खा रहा है। किसान लुट गया फिर भी आज स्थिति है कि यदि कोई नई योजना आती है तो मीडिया या अनेक सामाजिक कार्यकर्ता बाजारीकरण के विरूद्ध सरकारीकरण का समर्थन करते हुए ही दिखेंगे।

मेरा मत है कि अब भारत दुनिया की अनेक अर्थव्यवस्थाओं से खुली प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में है। हमें अपने मन से पुराने घिसे पिटे नारे निकाल देने चाहिये ।हम लोकतंत्र, पूंजीवाद, स्वेच्छाचारिता का विकल्प खोजें। उचित नहीं कि हम इन शब्दों का अनावश्यक विरोध करें। इन शब्दों का विरोध करते करते हम बहुत बर्बाद हो चुके है। अब इस मोह से बचना चाहियें ।

(घ) डा0 विश्वास महा सचिव राजीव भगवान आंदोलन, झांसी, उत्तर प्रदेश

समीक्षा– आपने एन्डरसन को भोपाल गैस कांड से जोड़ा और उसे एक दुर्घटना सिद्ध करने की कोशिश इसलिये की क्योंकि आपको इनके आन्तरिक षडयंत्र की जानकारी नहीं है। सच्चाई यह है कि अमेरिका आदि पूंजीवादी देश भारत की प्रगति के विरूद्ध योजना बनाते रहते हैं। वे लगातार प्रयोग करते रहते हैं कि थोड़े से परिश्रम से अधिक से अधिक जान कैसे ली जा सकती है। अमेरिकी खुफिया एजेन्सियों ने भारत में कई स्थानों पर ऐसे अड्डे बना लिये हैं। भोपाल गैस लीक कांड में एक योजनाबद्ध विस्फोट करवा कर उसकी मारक क्षमता का आंकलन करना अमेरिका का उद्देश्य था जिसमें वह पूरी तरह सफल रहा। मैं तो पहले एक दो बार राष्ट्रपति ओबामा से लम्बी चर्चा तक कर चुका हूँ ।

उत्तर– आपने मुझे रीवां की चर्चा में यह बात बताई थी। पूर्व में राजीव भगवन भी यह बात बताये थे। अरूण केशरी जी वाराणसी वाले भी यह बात बता रहे थे। अरूण केशरी जी भी अन्तर्राष्ट्रीय जानकारी रखते हैं। आप तो रखते ही हैं। मुझे इतने उॅचे अन्तर्राष्ट्रीय षडयंत्रों की गुप्त जानकारी नहीं रहती। इसलिये मैं आपके कथन पर टिप्पणी नहीं कर सकता।

मैं आप सबको काफी समय से जानता हूँ कि आप तीनों व्यक्ति घोषित रूप से अमेरिका और इसाइयत विरोधी हैं। इसलिये मैं आपके कथन पर विश्वास करने की स्थिति में भी नहीं हूँ। मैं प्रारंभ में भी मानता था और अब भी मानता हूँ कि हिंसा को शस्त्र के रूप में उपयोग की पहल करने में साम्यवाद का क्रम पहला, इस्लाम का दूसरा, लोकतांत्रिक पूंजीवादी इसाई धर्म प्रधानों का तीसरा हैं। भोपाल गैस कांड योजनावद्ध तरीके से कराकर प्रयोग करने की योजना साम्यवादी और मुसलमान भी नहीं कर सकते तो तीसरे के विषय में तो सोचना ही व्यर्थ है। फिर भी आप जैसे विद्वान व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर ऐसा कह रहे है और मुझे जानकारी नहीं है तो मैं क्यों आपके कथन को असत्य कहकर स्वयं को झंझट में डालूॅ। इसलिये आपका कथन मेरे लिये अविश्वसनीय होते हुए भी समीक्षा की आवश्यकता से बाहर है।

भोपाल गैस दुर्घटना पर मैंने ज्ञानतत्व में जो लेख लिखा और वेव साइट काश इण्डिया डाट काम पर भी संक्षिप्त समीक्षा की उस पर मैं अब भी कायम हूॅ। मैंने उसे एक ऐसी दुर्घटना माना जिसमें सुरक्षा के सर्वोच्च सतर्कता की अनदेखी हुई थी। उस अनदेखी के आधार पर दोषी व्यक्ति तथा कंपनी उचित दण्ड और मुआवजे के हकदार हैं। इससे अधिक भावनात्मक प्रचार करना उनके साथ अन्याय है जिससे हमें बचना चाहिये। विश्वास जी का आरोप तो ऐसी समीक्षा के लायक भी नहीं होने से बाहर रखा गया है।

(च) श्री श्रुतिवन्तुदुबेविजन,राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ज्ञान यज्ञ परिवार,सीधी मध्यप्रदेश।

प्रश्न–'ज्ञान तत्व 'अंक 203 प्राप्त हुआ। अंक मिलते रहते हैं। हॉ, कभी–कभी जरूर मिस हो जाता है। पर यह मिस कहॉ से होता है, कहा नहीं जा सकता। यघपि किसी मिसांक के पीछे नहीं पड़ता, किन्तु जब अंको की कड़ी टूट जाती है तो कुछ खोया खोया सा लगता है। 'ज्ञान तत्व ' कार्यालय को भी इस पर कुछ ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने की बात मैं इसलिए कर रहा हूॅ , क्योंकि मैंने पूर्व में जिला संयोजक सीधी श्री सुधेन्दू शर्मा 11/6 मंगलभवन सीधी को अतिरिक्त 4 प्रति,जिला संयोजक सिंगरौली श्री ज्योतिस्वरूप द्विवेदी ग्राम– पचौरी पो. पचौर , जिला– सिंगरौली को 5 प्रति (जिसमें एक की राशि चुकता),जिला संयोजक रीवा श्री प्रभाशंकर पाठक ग्राम– अमहा (रामरतन), पो. लासा को एक प्रति, जिला संयोजक , शहडोल , श्री कृष्ण शरण सिंह ग्राम –हडहा ,पो0 –लालपुर को एक प्रति भेजने के लिए लिखा था, किन्तु प्रतियॉ अभी नहीं पहुंच रही है। इससे आकर्षण खत्म होता हैं वांच्छित विचार प्रसार नहीं हो पाता है।

अंक 203 में प्रकाशित सभी लेखकीय विचार ज्ञानबर्द्धक ,उत्साहप्रद, तर्कसंगत , सामयिक एवम् लोकोपयोगी है। एण्डरसन कितना अपराधी कितना प्रचार? में युनि0कार्वाइड कंपनी भोपाल के प्रबन्धक एण्डरसन के अपराध को मापने का प्रयास मुनि जी के द्वारा किया गया है।वर्तमान व निवर्तमान सरकार –दल को भी पर्दे से बाहर रख कर देखा गया है। यहॉ मुनि जी ने अपनी बात की शुरूआत एक घटना से की है। कार से एक्सीडेन्ट होना और एक्सीडेन्ट से प्रभावित व्यक्ति को मरने या जीने के लिए छोड़कर स्वयं के चले जाने को व्यवहारिक कहा गया है। 'शरीरमाघं हि खलु धर्मसाधनम्' की मंशा भी यही है। याने कि , शरीर रक्षा ही सर्वोच्च धर्म है। यघपि प्रभावित व्यक्ति को छोड़ना मानवीय व नैतिक नहीं। एक सामान्य व्यक्ति तो ऐसा कर सकता है। किन्तु मुनि जी जैसे असामान्य व्यक्तित्व के लिए यह व्यवहारिकता उचित नहीं दिखती। प्रभावित व्यक्ति को छोड़ना मानवीय नहीं, मुनि जी ने स्वीकारा हैं किन्तु कृति में विरोध होने पर स्वीकृति स्वयंमेव निरस्त हो जाती है। सूरजपुर पहुंच कर प्रभावित के स्वास्थ्य का पता किया गया, जो स्वस्थ्य पाया गया । मेरे दो सवाल उत्तर की टोह में है–

1. अगर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हो जाती तो मुनि जी की किया व सोच की दिशा क्या होती?
2. अगर गांधी जी आज जीवित होते, तो मुनि जी के इस 'व्यवहारिक सोच' पर सहमति की मुहर लगाते या नही लगाते?

आगे सवाल उठता है कि मूल्यों की अनदेखी करते हुए अपनी रक्षा करना ही प्रधान धर्म है तो देश ओर समाज की रक्षा कैसे होगी? सीमा पर तैनात सिपाही दुश्मन के दुर्व्यवहार , यातनाओं और आसन्न मृत्यु के भय से बन्दूक फेंककर मुनि जी के 'व्यावहारिक' के तहत् आत्मरक्षार्थ भग जाय तो राष्ट्रधर्म का क्या होगा?समाज का क्या होगा? जानता हूॅ , तर्क देकर मुनि जी इसे दूसरे तरह का प्रकरण सिद्ध करेंगे, किन्तु शरीर का प्रकरण तो वहीं रहेगा। गांधी अगर इस व्यवहारिकता का निर्वहन करते , तो राष्ट्रपिता न हो पाते। उनकी अहिंसा भी अव्यावहारिक रह जाती।

एण्डरसन प्रकरण में मुनि जी ने गंभीरता से विचार किया है। न्याय के हाथों तर्क थमा देते हैं। देश का न्याय हिचकी लेकर बोलता है, मुनि जी बिना हिचकी के बोलते हैं। क्या कहीं मौन रहना भी व्यावहारिक होता है? आज राजनीति सबल है, समाज निर्बल है, तब भी मुनि जी का यह कथन कि राजनीति को, राजनेता को समझा देंगे, कितना अहम् होगा?एक निर्बल सबल को कैसे समझाएगा? इसका खुलासा नहीं किया गया है। क्या लोक स्वराज्य ही समझाना है? अगर ऐसा है, तो मार्ग लम्बा होगा।

लक्ष्य और मार्ग का समन्वय जब समय को आमंत्रित करता है तभी परिणाम अनुकूल होता है। समय की पकड़ सन्त या मुनि को ही हो सकती हैं। स्वागत है।

उत्तर– आपने मेरे मन की दुविधा को ठीक ठीक समझा। पहली बात तो यह है कि पहली सोच में तो वह व्यक्ति मर ही गया समझकर मैं वहॉ से हटा था। मैं जानता था कि दुर्घटना के बाद सबसे पहली बात तो होगी ड्राइवर की और हमारी पिटाई। उसके बाद गाड़ी में आग लगाने का नम्बर आयगा। आस पास के नामी गुण्डों के नेतृत्व में हमारा सारा सामान भी लुट सकता है। उसके बाद कानून का खूनी पंजा शुरू होगा। पुलिस हमसे घूस लेकर हमें छोड़ना चाहेगी और भीड़ अपना दबाव बनायेगी तथा कथित समाज सेवी मानवाधिकार संरक्षण के नाम पर लाश को सड़क पर रखकर उसकी मौत की कीमत वसूल करेंगे जो दस लाख रूपया से कम नहीं होगी क्योंकि लोगों को पता है कि बड़ी मुश्किल से एक सेठ फंसा है जो देने की क्षमता रखता हैं। यदि मृतक आदिवासी हुआ तब तो और भी अच्छा है। इतने प्राथमिक उपचार के बाद न्यायालय का नम्बर आयगा और लुटा पिटा मैं और मेरा ड्राईवर कई वर्ष तक न्यायालय के चक्कर काटते रहेंगे तब न्यायालय में क्या होगा यह भगवान भरोसे हैं। आप बताइये कि मानवता विहीन न्याय और व्यवस्था विहीन भीड़ तंत्र के सामने मुझे क्या करना चाहिये? मैं मूर्ख सरीखा लुट पिटकर कोर्ट के चक्कर लगाउॅ या मानवता विहीन हृदय कठोर करके बच जाउॅ। यदि मुझे यह पता हो जावे कि एक्सीडेंट की स्थिति में न्याय भी होगा और व्यवस्था भी होगी तो मैं स्वेच्छा से रूक जाता।

दूसरा प्रश्न है कि गांधी होते तो क्या करते। पहली बात तो यह है कि मेरी जगह पर गांधी होते तो वे रूक भी जाते और भीड़ भी कुछ नहीं करती क्योंकि गांधी स्वयं में एक व्यवस्था थे। दूसरी बात यह है कि यदि मैं गांधी के कालखंड में रहा होता तो मैं रूक जाता क्योंकि उस समय इस तरह मानवाधिकार और समाज सेवा का व्यवसायीकरण नहीं हुआ था। आज तो हर ऐरा गेरा नत्थु खैरा समाज सेवा का बिल्ला लगाकर घात लगाये हुए है। कहीं भी चांस मिला तो वह बिचौलिया के रूप में खड़ा हो जायेगा। उसे न्याय अन्याय से मतलब नहीं। पीड़ित के पक्ष में भावनाओं का ज्वार पैदा करके किसी भी तरह से इतना धन ऐंठना कि मृतक के साथ साथ उसका भी खर्च कई माह चलता रहें। मैं तो अब भी समझता हूॅ कि यदि व्यवस्था इसी प्रकार अव्यवस्था बनी रही तो या तो गांधी को ही अपनी सोच बदलनी होगी या हमें ही गांधी की सोच से पिण्ड छुड़ाना होगा। अच्छा होगा कि हम न्याय और मानवता का व्यवसायीकरण न होने दें।

आप विचार करिये कि हवाला कांड में बड़े बड़े नेता फंसे थे। सिर्फ अकेले शरद यादव ने आंशिक सच बोल दिया था। सभी बड़े नेता तो झूठ बोलकर तिकड़म करके बच निकले किन्तु शरद यादव जी लम्बे समय तक परेशानी झेलते रहे।

मैंने पूर्व में भी लिखा है और आज पुनः लिख रहा हूॅ कि गढ़वा रोड स्टेशन में टिकट के लिये लाइन में खड़ा मैं टिकट नहीं ले पा रहा था क्योंकि वहॉ दबंग लोग धक्का देकर टिकट ले रहे हैं ओर लाइन आगे नहीं बढ रही। मेरा लड़का भी उसी तरह धक्का देकर टिकट लेता है जिसमें एक बूढ़ी गरीब औरत को चोट आ जाती हैं। पूरी स्थिति की वर्षो समीक्षा चलती रहती है कि उचित विकल्प क्या है 1. हम मूर्ख सरीखें अन्याय सहें और चुपचाप दादाओं का मार्ग प्रशस्त करते रहें 2. हम मेरे लड़के के समान

कमजोरों को धक्का देकर टिकट प्राप्त करें। 3. हम धक्का देकर टिकट लेने वालों से टकरा जावें और नक्सलवादियों के समान उन्हें मजबूर कर दें कि वे लाइन में खड़े हों। चौथा मार्ग क्या है। जब तक कोई व्यवस्था नहीं बनती तब तक हम क्या करें? वर्तमान राज्य व्यवस्था तो अव्यवस्था को प्रोत्साहित कर रही है। यदि कोई व्यक्ति अस्पताल में स्वाभाविक रूप से मर जाय तो हर आदमी जानता है कि बिना तोड़ फोड़ के बड़ा मुआवजा नहीं मिलेगा। यदि राज्य और उसके कानून व्यवस्था को तोड़कर अव्यवस्था को बढ़ाने लगे तो परिणाम तो भयंकर होगा ही।

अभी दो तीन माह पूर्व ही कानपुर में प्रधानमंत्री के कारण बन्द मार्ग के कारण आकाश नामक बच्चे की मौत हो गई। उसने सोनिया जी को चिठी लिखी। सोनिया जी पसीज गई और उन्होंने इस घटना को गंभीरता से लेकर उस परिवार को प्रोत्साहित किया। क्या सोनिया जी का यह ढोंग अव्यवस्था का आधार नहीं बनेगा? सोनिया जी क्या भविष्य में ऐसे मार्ग बन्द को रोक सकती हैं? यदि नहीं तो क्या ऐसे मामले उछालने की प्रवृत्ति नहीं बढ़ जायेगी? सोनिया जी पहले विकल्प खोज लेती तब उसके प्रति सहानुभूति दिखातीं तो अच्छा होता। अन्यथा सोनिया जी को उक्त पत्र को किनारे कर देना चाहिये था। सोनिया जी को समझना चाहिये कि न्याय और व्यवस्था का ठीक ठीक संतुलन न होकर यदि व्यवस्था की तुलना में न्याय भारी हुआ तो उसका परिणाम होगा अव्यवस्था और अव्यवस्था का निश्चित परिणाम होगा अन्याय।

इस तरह मेरा आपसे निवेदन है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार अपनी प्राथमिकताएँ तय करने की आदत डालिये और साथ ही व्यवस्था परिवर्तन के दीर्घकालिक समाधान भी खोजते रहिये। वर्तमान अतिवादी न्याय हमारे लिये घातक है, अव्यवस्था को प्रोत्साहित करता है। उसे व्यवस्था के साथ जोड़ने का प्रयास करिये।

आपने ज्ञान तत्व न मिलने की बात की है। मैं पता कर रहा हूँ यदि कोई भूल होगी तो सुधरेगी।

(छ) श्री एस.के.त्रिवेदी , लालबहादुर शास्त्री मार्ग, फतेहपुर, यू.पी. 212601

समीक्षा– ज्ञान तत्व मिला।आपने आज के ज्वलंत मुद्दों पर बेबाक लेखनी चलायी है जो आपकी दृढ़ता , परिपक्वता और सजगता का प्रमाण है।

खाप पंचायतों की मॉग को झुठलाना लोकतंत्र का प्रतिकूलन होगा। आनर किलिंग तो शुद्ध किलिंग है, उसे बिना किसी विशेषण के हत्या के अंतर्गत ही रखा जाना चाहिए। सगोत्र–विवाह –वर्जना के पीछे कहीं समान रक्त समूह की बात तो नहीं है जिसका दुष्प्रभाव (चिकित्सकों के अनुसार) संतान के स्वास्थ्य एवं आयु पर पड़ता है। अच्छा हो कि इस पर शोध की जाए और विज्ञानसम्मत निष्कर्षो के आधार पर सर्वसम्मति से कोई निर्णय लिया जाए। संवादहीनता से काम नहीं चलेगा।

कुछ शिक्षा– विभाग की अराजकता पर भी लिखिए। पाठशाला या पिटाई–शाला कहकर उॅचे–उॅचे दावे कर रहे और शिक्षकों को पानी पी–पीकर कोस रहे विप्रजन एवं शिक्षाशास्त्री समाजशास्त्री यह नजरअंदाज कर जाते है। कि छात्रों को दसवीं कक्षा तक अनुत्तीर्ण करने का आदेश देकर सरकार तनावमुक्त हो गयी और अनुत्तीर्ण होने का भय समाप्त हो जाने से छात्र भी तनावमुक्त हो गया– वह पढ़े चाहे न पढ़े, विघालय जाए चाहे न जाए, परीक्षा दे चाहे न दे .....। तब सारा का सारा तनाव शिक्षक के सिर पर तो आया। वह न बच्चे को छुए , न उसे डॉटे , न उसे खड़ा करे, न उसको कक्षा में आने–जाने से रोके, न उस पर परीक्षा में सख्ती करे (केरल के प्रोफेसर पर हुआ प्राणघातक प्रहार एक दम ताजा उदाहरण है), वह छात्रों की इच्छानुसार ही चले(बंगाल की महिला शिक्षिका को जबरन,बुर्का पहनाने का समाचार आज के ही दैनिकों में है, जिस पर अपने माननीय शिक्षामंत्री मौन साध गए है).....,और फिर भी बच्चा विद्वान हो जाए। इस असंभव कार्य को न कर पाने पर वह अभिभावक, प्रशासन, शासन..... सभी

की निंदा और भर्त्सना झेले। सरकार नित नए प्रयोग करते रहने की बजाए अपने (सरकारी) विघालयों को ही सुधार ले तो शिक्षा– विभाग का बड़ा कल्याण हो। लेकिन अंधेरा तो चिराग के नीचे ही होता हैः अस्तु।
उत्तर– खाप पंचायतों के मामले में मेरे और आपके विचारों में कुछ फर्क है। मै विवाह के मामले में किसी भी सरकारी कानून के खिलाफ हूँ। यह सामाजिक विषय है जिसे समाज को निर्णय करने दीजिये। एक स्त्री और एक पुरूष यदि भाई बहन भी है और पति पत्नी भी तो इसे रोकने का काम परिवार का है या समाज का। उन्हें अनुशासन से तो रोका जा सकता है किन्तु शासन से नहीं। सरकार परिवार और समाज व्यवस्था का अनुशासन तोड़कर ऐसे मामले शासन से निपटाना चाहती है जो संभव नहीं।

इसी तरह प्रेम विवाह के मामले में भी मैं उन्हें शासन द्वारा प्रोत्साहित करने के खिलाफ हूँ । एक स्त्री और एक पुरूष का अपने परिवार और समाज की मान्यताओं के विरूद्ध मिलन अनैतिक है। उसे अनुशासन द्वारा रोका जा सकता है, शासन द्वारा नहीं। यदि ऐसे मामलों में परिवार या समाज शासन करने लगें तो राज्य उनकी स्वतंत्रता की सुरक्षा की व्यवस्था करें किन्तु ऐसे प्रेम विवाहों को न प्रोत्साहित करें न महिमामण्डित करें। राज्य को कभी भी सामाजिक मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये जब तक किसी मामले में किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार पर आक्रमण न हो। राज्य का काम समाज सुधार नहीं है। विशेषकर वह राज्य जिसका नख से शिख तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, जिसे स्वयं सुधरना चाहिये, वह राज्य समाज सुधार की बात करे यह ठीक नहीं।

बच्चे और शिक्षक का क्या संबंध हो इस संबंध में भी सरकार को कोई कानून नहीं बनाना चाहिये, जब तक किसी निश्चित सीमा से आगे प्रताड़ना न हो। ऐसी सीमा सरकार तय कर सकती है । यह भी संभव है कि यदि कोई अभिभावक प्रारंभ में ही सूचित कर दे कि वह अपने बच्चे को डांटने के भी खिलाफ है तो या तो स्कूल उसका एडमिशन ही न ले या न डांटे। कुछ भी राह निकल सकती है किन्तु सरकार का हस्तक्षेप ठीक नहीं।

(ज) श्री सुरेश शर्मा, रामगंज,अजमेर,राजस्थान

समीक्षा– ज्ञान तत्व में प्रकाशन आपके साहस की एक मिसाल है किन्तु स्थिति इतनी बिगड चुकी है कि इस पुस्तक से कुछ होना नहीं है, इसे आप आन्दोलन के रूप में प्रकाशित करें, मात्र सूचना देने के लिये नहीं–हमारा देश क्या था, वर्तमान लोक इसे कहॉ पहुंचा रहे है–यह देख कर रोना ही आता है ईश्वर से हम प्रार्थना ही कर सकते है। सदा विजय आर्य हमारे साक्षी एवं मित्र है ऐसे लोग चाहिये जो अपने कार्य को इतनी सरलता से एवं निर्भीकता से किये जा रहे हैं। mo,100/-का भिजवा रहा हूँ कुछ देर हो सकती है।

उत्तर–आपने शुल्क भेजने की बात की इससे उत्साह बढ़ा। स्थिति ज्यादा खराब होने से सम्हल सम्हल कर करना होगा। एक ब्लाक में ग्राम सभा सशक्तिकरण अभियान नाम से पांच मुद्दों को आधार बनाकर नई समाज रचना का काम शुरू हुआ है। शेष भारत में ज्ञान तत्व विस्तार योजना शुरू है क्योंकि हमारा मानना है कि जब तक व्यक्ति के स्वयं के ज्ञान का विकास नहीं होगा तब तक कोई समाधान संभव नहीं। शिक्षा विकास में तो सहायक हो सकती है किन्तु चरित्र निर्माण में सहायक नहीं। चरित्र निर्माण के लिये ज्ञान आवश्यक हैं। दुर्भाग्य से ज्ञान की जगह शिक्षा को ही सब कुछ माना जाने लगा है।

ग्राम सभा सशक्तिकरण तथा ज्ञान तत्व विस्तार के कार्य का जिम्मा ज्ञान यज्ञ परिवार ने उठाया हैं। पचीस दिसम्बर से एक जनवरी तक रामानुजगंज में एक वर्ष की सफलता असफलता के साथ साथ आगे की योजना भी बनेगी। आप भी आने की कृपा करें।

(झ) श्री भगवान दास जोपट,कृपा अपार्ट,वेस्टमाड़पल्ली,सिकन्दराबाद, आंध्रप्रदेश

ज्ञान तत्व '–204 (15 से 31 जुलाई'2010)हस्तगत हुआ। धन्यवाद। खाप पंचायतें और ऑनर किलिंग पर आपके विचार पढ़ा। मैं इन विचारों से शत प्रतिशत सहमत हूँ। वस्तुतः खाप पंचायतों का फर्मान एक तरह से तालिबानी शैली में तुगलकी फर्मान है जो सदियों पीछे ले जाता है मानव सभ्यता को। इक्कीसवीं शताब्दी में इस पिछड़ी सोच की हम भर्त्सना करते हैं। वोट बैंक की राजनीति, स्वार्थपरता, सत्तालोलूपता के कारण नेताओं से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे क्षुद्रस्वार्थो से उपर उठकर इन पंचायतों पर लगाम कसेंगे। अतएव सामाजिक जागरूकता, जनजागरण , जन आंदोलन द्वारा इन्हें निरूत्साहित किया जा सकता है। अन्य वैचारिक टिप्पणियां– पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि , अंधा बांटे रेवड़ी....., मुआवजे की राजनीति, नक्सलवाद, आई.पी.एल. पर शरद पवार तथा अरून्धतीराय के बयान पर प्रतिक्रियाएं बेहद सारगर्भित, युक्तियुक्त, तर्कसंगत एवं विचारोत्तेजक हैं श्री बजरंगमुनी जी के प्रश्नों में ज्वलंत समस्याओं का समावेश हैं। अंक की इतर सामग्री भी पठनीय,विचारणीय है। वस्तुतः ज्ञानतत्व वैचारिक क्रान्ति का अमूल्य दस्तावेज है। भारत की वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन हेतु चलाई जा रही इस वैचारिक बहस का राष्ट्रव्यापी स्वागत होगा। यही कामना हैं। मात्र एक सौ रूपये वार्षिक मूल्य की यह पत्रिका समाज और राष्ट्र में परिवर्तन की बयार लाने में सफल होगी, यही शुभकामना है। प्रभु आपको यश और सफलता देवें। आपका यह सारस्वत अनुष्ठान स्तुत्य है।

(ट) श्री अमरसिंह जी आर्य, जयपुर, राजस्थान

प्रश्न– आर्य नीति के नवीनतम अंक संलग्न हैं आपकी प्रतिक्रिया चाहिये।

उत्तर– मैंने पूरा पत्र पढ़ा। पत्र में अनेक बाते तोड़ मरोड़ कर लिखी गई हैं।

1. यह बात सही नहीं है कि देश के चौथाई भाग पर नक्सलियों का कब्जा हो चुका है , पुलिस तथा अर्ध सैन्य बलों ने आत्मसमर्पण कर दिया है तथा सेना ने नक्सलवादियों के खिलाफ हथियार उठाने से इन्कार कर दिया है। नक्सली समर्थक यह प्रचार पक्षपात का संकेत करता है।
2. यह बात सही नहीं है कि सरकार जहॉ भी गरीबों का आंदोलन देखती है उसे नक्सल आंदोलन कहकर बदनाम कर देती है।
3. यह सही नहीं है कि आर्य जगत के विद्वान स्वामी अग्निवेष से मध्यस्थता के लिये सरकार ने सहयोग मांगा। सच बात यह है कि स्वामी जी पुराने समय से ही कांग्रेस पार्टी के संकट मोचक रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उनका समय समय पर उपयोग करती रही। नक्सल मामलों में वर्षो पूर्व से ही जग जाहिर है कि स्वामी जी नक्सलवाद समर्थक टीम में शामिल हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से बुलावा न आने पर हार थक कर वे गृहमंत्री के पास गये। शेष उत्तर अन्यत्र भी लिखा है।
4. यह सही नहीं है कि गृहमंत्री जब त्यागपत्र दे रहे थे तब स्वामी जी ने उन्हें मध्यस्थता का प्रस्ताव दिया और हिम्मत पाकर गृहमंत्री ने त्यागपत्र का इरादा बदल दिया। त्यागपत्र और स्वामी जी के प्रस्ताव के बीच महिने भर का अन्तराल रहा है और प्रस्ताव बाद का है। आर्य और असत्य एक साथ चलना ठीक नहीं।
5. यह असत्य है कि आज जनसंघर्ष और राजनैतिक आंदोलन की दृष्टि में आर्य समाज निकृष्टतम स्थिति में है। सच्चाई यह है कि पूरे भारत में नक्सलवाद के अहिंसक समाधान में आंशिक सफलता का श्रेय जिस रामानुजगंज शहर को है उस आंदोलन में मुख्य भूमिका रामानुजगंज आर्य समाज की ही है। आज पूरे भारत में नई समाज रचना की शुरूआत आर्य समाज की ही देन है। आज स्वामी रामदेव जी का आंदोलन आर्य समाज की ही देन है। यदि हमारे आर्य समाज के मठाधीश कांग्रेस और भाजपा के पिछलग्गू बनकर सार्वदेशिक के भवन पर कब्जे को ही सफलता असफलता मान ले

तो वह गलत आकलन हैं। आर्य समाज के संस्कारित लोग इन गुटों से हटकर भी मशाल जलाये हुए हैं। नक्सलवादियों की सफलता का इतना अधिक यशोगान और आर्य समाज के लिये निकृष्ट शब्द के प्रयोग ने मुझे पीड़ा पहुॅचाई हैं।

6. आजाद को फर्जी मुठभेड़ में मारने से स्वामी जी को भारी कष्ट हुआ क्योंकि वह स्वामी जी के निकट का साथी था। हमें कोई कष्ट नहीं हुआ क्योंकि वह किसी स्थापित व्यवस्था को बन्दूक की ताकत पर पलटने की योजना का सदस्य था। उसके मारे जाते ही स्वामी जी ने उसे मध्यस्थ का दर्जा देकर शहीद बताना शुरू किया। ऐसी घटना पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूॅगा। इतना सच है कि स्वामी जी ने जोगाड़ लगाकर सरकार और नक्सलियों के बीच मध्यस्थ बनने में सफलता पा ली है। यदि परिणाम अच्छे हों तो हमें बहुत खुशी होगी।

   मैं स्वामी जी को निकट से जानता हूॅ। उनके कन्या भ्रूण हत्या तथा बाल मजदूरी संबंधी हवाई भाषण की मैंने ज्ञान तत्व के पिछले अंक 202 में समीक्षा की है। अमरसिंह जी ने वह समीक्षा पढ़ी भी है। यदि आपको मेरी समीक्षा गलत लगे तो आप स्पष्ट करिये अन्यथा सोचिये कि क्या किसी सन्यासी और वह भी आर्य समाज का नेतृत्व करने वाला, ऐसा असत्य बोल सकता हैं। आशा है कि आप आर्य समाज को भाजपा कांग्रेस और कम्युनिष्ट के दलदल से बाहर रखने में सहायक होंगे।

(ठ) अपनो से अपनी बात

पचीस दिसम्बर दो हजार नौ को रामानुजगंज में विधिवत् ज्ञान यज्ञ परिवार ने काम शुरू किया। नये चुनाव तक तदर्थ समिति बनी है जिसके अध्यक्ष पौराणिक जी हैं। अभी दो काम प्रारंभ है 1. ग्राम सभा सशक्तिकरण 2. ज्ञान तत्व विस्तार। ग्राम सभा सशक्तिकरण के लिये एक सौ तीस गांव रामानुजगंज विकास खंड के पास के चुनकर उनमें पांच आधारों पर नयी समाज रचना का काम प्रारंभ है। ये पांच आधार हैं 1. लोक और तंत्र के बीच की दूरी कम करना 2. अहिंसक समाज रचना 3. वर्ग विद्वेष को वर्ग समन्वय में बदलना4. भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत 5. अपने स्वयं की भूमि के उत्पादन और उपयोग की वस्तुओं को कर मुक्त कराने का शासन से निवेदन। इन पांच मुद्दों पर कार्य आगे बढ़ रहा है। इसके लिये अधिवक्ता अवधेश गुप्त के नेतृत्व में कमेटी काम कर रही है।

ज्ञान तत्व विस्तार का कार्य पूरे भारत में चल रहा हैं इसके अन्तर्गत हम समझा रहे हैं कि विचार मंथन को आधार बनाइये। ज्ञान और शिक्षा का फर्क समझाया जा रहा हैं। धर्म, राज्य और समाज का फर्क भी बताया जा रहा है। विचार मंथन और विचार प्रचार के बीच का फर्क भी बताया जा रहा है। पूरे भारत को एक संदेश दिया जा रहा है कि हम ज्ञान, समाज और विचार मंथन को प्रोत्साहित करे रहे हैं तो अन्य सब लोग शिक्षा, धर्मया राज्य तथा विचार प्रचार को। हम यह भी समझा रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत शिक्षा, धर्म राज्य तथा विचार प्रचार के विस्तार को खुली छूट देकर उसके दुष्परिणाम देख रहा है। अब ज्ञान समाज और विचार मंथन को बढ़ाइये। इस ज्ञान तत्व विस्तार योजना में ज्ञान तत्व, ज्ञान कथा, ज्ञान मंदिर, काश इन्डिया डाट काम वेव साइट आदि प्रयत्नशील हैं।

ज्ञान यज्ञ परिवार खर्च की सहायतार्थ दो योजनाऍ चल रही हैं 1. ज्ञान यज्ञ परिवार संरक्षण सभा–इसके अन्तर्गत एक हजार रूपया वार्षिक का दान देने वाले सदस्य बन रहे हैं। यह पूरा धन जिस जिले से प्राप्त होगा उस जिले की संरक्षण सभा उक्त राशि स्वतंत्रता पूर्वक खर्च कर सकेगी। किसी अन्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ज्ञान यज्ञ परिवार का भी नहीं। 2. ज्ञान यज्ञ परिवार ट्रस्ट–इसके अन्तर्गत एक हजार रूपया मासिक या दस हजार रूपया वार्षिक दान दाता सदस्य बन सकेंगे। ट्रस्ट एक पूरी तरह स्वायत्त इकाई रहेगी जिस पर किसी अन्य संस्था का कोई अधिकार या हस्तक्षेप नहीं होगा।

पचीस दिसंबर दो हजार दस को एक वर्ष पूरा हो रहा है। कार्य की समीक्षा होनी चाहिये। पचीस दिसम्बर से एक जनवरी तक का रामानुजगंज सम्मेलन इसी निमित्त हैं। इसमें ग्राम सभा सशक्तिकरण के अन्तर्गत गांवों के भ्रमण और समीक्षा की व्यवस्था रहेगी। साथ ही ज्ञान तत्व विस्तार के तीन बिन्दुओं पर भी प्रगति की समीक्षा होनी है। एक जनवरी को एक बड़ी आम सभा के साथ समापन होगा। इन आठ दिनों में ज्ञान कथा भी चलती रहेगी तथा विभिन्न इकाइयों की बैठकें भी होगी। इन आठ दिनों में हमारे सभी साथी, मित्र पाठक आमंत्रित हैं। आप जितना समय दे सकें उतना ही अच्छा होगा। यदि आप पूरे आठ दिन भी दें तो और ज्यादा अच्छा होगा। आप अन्य नये लोगों को भी प्रोत्साहित करें।

kaashindia.com वेव साइट भी प्रगति पर है। इसमें सभी नये अंक तो डाले ही जा रहे हैं साथ में पुराने अंक भी डाल रहे हैं। आप तात्कालिक समीक्षा तो होम पेज खोलकर पढ़ सकते हैं तथा अपने प्रश्न या समीक्षा लिख सकते हैं। आपके प्रश्न या समीक्षा का समुचित उत्तर भी होम पेज में डाला जायेगा। आप पुराने अंक मैग्जीन पेज खोलकर पढ़ सकते है। अब तक अंक एक सौ साठ से दो सौ छः तक डाले हुए हैं। अन्य अंक भी धीरे धीरे डाले जा रहे हैं। कई लोगों के ज्ञान तत्व अनियमित है या पते अधूरे हैं। कुछ कार्यालय की गल्ती से छूटे हैं जैसा कि इसी अंक में श्रुतिवन्तु जी ने भी लिखा हैं। एक अगस्त दो हजार दस तक प्राप्त ज्ञान तत्व के पूरे पते ज्ञान तत्व अंक 001 के क्रम जो दो सौ और एक सौ निन्यान्नवे के बीच है उसमें लिखे गये हैं। एक जनवरी को फिर से संशोधित सूची डाल देंगे। आप पूरे भारत के सभी पाठकों के नाम पढ़ कर हमें सूचित करें।

आप ज्ञान तत्व के लिये अधिक से अधिक सशुल्क या निःशुल्क पाठकों के भी नाम भेजिये। यदि कोई हजार रूपया वार्षिक देकर संरक्षक सदस्य या एक हजार रूपया मासिक का ट्रस्ट सदस्य बने तो आप अवश्य ध्यान दें क्योंकि अब जिस गति से कार्य बढ़ रहा है उसी गति से खर्च भी बढ़ेगा। दिसम्बर में रामानुजगंज की योजना में प्रत्यक्ष भेंट होगी तब विशेष चर्चा होगी।

आपका

बजरंग मुनि

(ड) क्या दिग्विजय सिंह जी कोई गुप्त योजना पर है?

बजरंग मुनि

दुनिया जानती है कि हथियारों का विस्तार सुरक्षा की अपेक्षा हिंसा की भावना का अधिक संवाहक होता है। जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिये तो अपने पास हथियार रखने आवश्यक थे किन्तु अपराधियों से सुरक्षा के लिये हथियारों को प्रोत्साहित करना अराजकता का प्रोत्साहन भी है तथा राज्य की विफलता की स्वीकारोक्ति भी। जब राज्य अपने नागरिकों को समुचित सुरक्षा की गारंटी नहीं दे पाता तब नागरिकों को हथियार के लाइसेंस देकर अपनी जिम्मेदारी से दूर हो जाता है। सरगुजा जिले में जब असुरक्षा बढ़ी तब दशकों से रखी बन्दूकें या पिस्तौल किसी के काम नहीं आये और या तो वे नक्सलवादी मांग कर ले गये या सरकार के पास जमा कराने पड़े। किसी दंगे के समय भी हथियार थाने में जमा कराने की आम प्रथा है। दुनिया के अन्य देश भी हथियारों की सहज सुलभता से चिन्तित हैं। मैं तो पचासों वर्ष से हथियार

सुलभता के पूरी तरह खिलाफ रहा हूँ। विशेषकर जब आम नागरिक का औसत चरित्र गिर रहा हो या उसमें हिंसा की भावना बलवती हो रही हो तब तो हथियार सुलभता ज्यादा ही खतरनाक हो जाती है।

जबसे गृहमंत्री के रूप में चिदम्बरम् जी आये हैं तबसे ही उन्होंने महसूस किया कि हथियार सुलभता लाभ की अपेक्षा हानि ज्यादा करती है। चूँकि दिग्विजय सिंह जी को व्यक्तिगत कटुता या राजनैतिक प्रतिस्पर्धा के आधार पर चिदम्बरम् का किसी भी रूप में विरोध करना है, इसलिये श्री सिंह अपने कुछ अन्य साथी सांसद नेता बृजभूषण शरण सिंह, शाहनवाज हुसैन जसवंत सिंह, मनीष तिवारी, नवीन जिन्दल आदि को साथ लेकर प्रधानमंत्री को गृहमंत्री की शिकायत किये कि गृह मंत्रालय आम नागरिक के हथियार रखने के अधिकारों में कटौती कर रहा है। विदित हो कि श्री सिंह भारतीय हथियार अधिकार एसोशियेशन के अध्यक्ष हैं। आश्चर्य की बात है कि हमारे देश में हथियार अधिकार एसोशियेशन जैसी संस्थाएँ भी कार्यरत् हैं और ऐसे ऐसे राजनेता और सांसद गर्व से ऐसे एसोशियेशन की अध्यक्षता या सदस्यता लेते हैं।

मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री से की गई शिकायत का मुख्य उद्देश्य हथियार सुलभता प्रोत्साहन न होकर चिदम्बरम् विरोध ज्यादा है क्योंकि चिदम्बरम् जी की बढ़ती लोकप्रियता कई नेताओं को बहुत खटक रही है, किन्तु उन्हें ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर राजनीति नहीं करनी चाहिये। समाज को स्वयं अपने हथियार रखने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकर उन्हें राज्य द्वारा सुरक्षा की गारंटी देना ही आदर्श स्थिति है। हथियार सुलभता तो अराजकता को बढ़ाने में सहायक ही है। हमें चाहिये कि हम हथियार सुलभता के पक्षधरों के इस प्रयास की निन्दा करें और उनकी वास्तविक नीयत का पर्दाफाश करें।

(ढ) नक्सलवाद और शांतिवार्ता

बजरंग मुनि

यह सर्व विदित हे कि जब भी आतंकवाद पर संकट आना शुरू होता है तब आतंकवादियों का सुरक्षित टैंक सरकारी मेहमान बनकर शान्ति की बात शुरू कर देता है। नक्सलियों को केन्द्रीय गृह मंत्री चिदम्बरम् के प्रयत्नों में ज्योंही इमानदारी स्पष्ट हुई त्योंही उनके सुरक्षित टैंक अग्निवेष, मेधा पाटकर, ब्रम्हदेव शर्मा शान्ति वार्ता की दौड़ में सक्रिय हो गये। चूँकि कांग्रेस पार्टी ने समय समय पर इन छुटे शान्ति दूतों को अपने राजनैतिक हितों के लिये कई बार उपयोग किया है इसलिये कांग्रेस पार्टी इन्हें फटकारने की भी स्थिति में नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी के ऐसे पालतू पहलवान है कि यदि ये आंख दिखा दें तो पाटी इन्हें आंख नहीं दिखा सकती ।भले ही उसे आंख चुराना ही क्यों न पड़ें। जब अग्निवेष जी के आवेदन के बाद भी कोई आमंत्रण नहीं मिला तो ये स्वयं चलकर गृहमंत्री चिदम्बरम् के समक्ष फरियाद लेकर गये थे जिसमें चिदम्बरम् जी ने लगभग झिड़कते हुए इनसे कहा था कि आप पहले नक्सलवादियों को शान्ति का पाठ पढ़ाइयें तब हमसे बात करिये। बस इतनी सी पूंछ पकड़कर अग्निवेष शान्ति दूत बन बैठे।

आज स्थिति यह है कि शान्ति वार्ता के लिये नक्सली नेता कोटेश्वर राव ने चार नाम उजागर किये हैं इनमें दो सरकार की ओर से हैं 1. ममता बनर्जी 2. स्वामी अग्निवेष तथा दो नक्सलवादियों की ओर से हैं

1. मेघा पाटकर 2. अरून्धतीराय। मैंने दोनों पक्षों की सूचियों की समीक्षा की तो पाया कि इस सूची में एक नाम छूट गया है और वह है कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का। यदि यह नाम और शामिल हो जाता तो वास्तव में शान्ति स्थापित हो जाती। क्योंकि ये पांच मिलकर भारत को इस तरह शान्त कर देते कि भारत नेपाल सरीखे शान्ति की गोद में बैठ जाता।

अब समय आ गया है कि आस्तीन के सांप पहचाने जाय। कोई गांधी का नाम लेकर हमसे शान्ति की चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है तो कोई स्वामी दयानन्द का नाम लेकर। अरून्धती राय और मेघा पाटकर को तो समाज ने खूब पहचान रखा है। अब अग्निवेष, ममता बनर्जी , दिग्विजयसिंह, ब्रम्हदेव शर्मा को भी पहचानने की आवश्यकता है। नक्सलवादियों के ये सुरक्षित टैंक यदि मांद से बाहर निकाले गये हैं तो स्पष्ट है कि नक्सलवादी अपने उपर कोई बड़ा खतरा महसूस कर रहे हैं। सोनिया मनमोहन चिदम्बरम् जी को सावधान रहना चाहिये।

सूचना

.....

01.08.10 तक जाने वाले पाठकों के नाम पते website kaashindia.com के मैग्जीन पेज में क्रमांक 200 के नीचे 001 क्रम देकर अंकित हैं। पूरे भारत के नाम पते हैं। अपना तथा मित्रों का नाम चेक करके सुधार या जोड़ने के लिये सूचित करने की कृपा करें।

.....

.